

निर्दिष्ट

15.1.2025

फर्द अहकाम

2025/35

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
छोटूराम

बनाम

ओमप्रकाश आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 14 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07.01.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 15.01.2025 को पेश हो। ॐ	
08.01.2025	वकील वादी ने पार्षना-फग मिमाल पेसी पेसा करेने एर पुत्रावली को पेसी में लिपा गया। वकुलाए करि छेन उपरिच्छेन। वादी व पुत्रावली के 21/11/2024 के दायित अदालत आकर गेला डिपा जिसे काउ रजिस्ट्र शाणिल प्रकल किया गया पुत्रावली वादले स्टेट एक्ट 88,53 आर.टी.एक्ट 15-01-2025 को पेशा हो। ॐ	छोटूराम ओमप्रकाश Subash शिमला
15.1.2025	वकुलाए करि छेन उपरिच्छेन। स्टेट एक्ट 88,53 आर.टी.एक्ट 15-01-2025 के अन्तर्गत पुत्रावली का अवलोकन किया गया। पुत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आरीक वरी पुत्री वरी के राधीनामा के आधार पर वद वरी डिक्ली डिपा लहाई। पुत्री विवण मरित निर्दिष्ट अलग से लिबाया जाकर शाणिल प्रकल किया जावे। पुत्रावली नम्बर से क्रम की आधार काउ रजिस्ट्र नम्बर लखल दायित इफतद हो। ॐ	प. कर्ती पुत्री



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 14/2025 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

छोटू राम पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्युडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)

-वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रिछ पाल जाति मेघवाल निवासी गन्धेली हाल 34 आरडब्ल्युडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2. सुभाष चन्द्र पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्युडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3. शिमला पुत्री ओमप्रकाश पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्युडी हाल सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री राकेशकुमार वकील-वादी

श्री बलराम कस्वां वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक- 15-01-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक ग्राम 33 आरडब्ल्युडी पटवार हल्का निरवाल खाता नम्बर 10/94 पं० नं० 34/47 (25) किला नम्बर 16,17,18 की 0.759 है० कमाण्ड पं० नं० 34/55 (26) किला नम्बर 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/2, 21/1, 22 की 2.227 है० कमाण्ड पं० नं० 206/446 (27) किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19, 20 की 2.024 है० कमाण्ड कुल तादादी 05.010 है० कमाण्ड भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 01.2525 है० भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15-01-2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर